अध्याय XIII : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

सुपर पावर ट्रांसमिशन, ऑल इंडिया रेडियो, बंगलौर

13.1 विद्युत प्रभारों पर परिहार्य भुगतान

सुपर पावर ट्रांसमिशन, ऑल इंडिया रेडियो, बंगलौर द्वारा वास्तविक उपभोग के अनुबंध मांग के गलत आकलन के परिणामस्वरूप बंगलौर विद्युत आपूर्ति कम्पनी को भुगतान किए गए बिलिंग मांग प्रभारों के लिए ₹ 1.24 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

विद्युत कनेक्शन पाने को इच्छुक संस्थान को वितरण लाइसेंसधारक को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। वास्तविक खपत/अनुमानों के आधार पर संस्थान एक वर्ष में एक बार अनुबंध की मांग को बदल सकता है। अनुबंध मांग में कमी के लिए, उपभोक्ता को प्रसंस्करण शुल्क के साथ निर्धारित फॉर्म में आवेदन तथा स्वीकृत मांग में कमी के लिए विद्युत ठेकेदार की परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

सुपर पावर ट्रांसमिशन, ऑल इंडिया रेडियो, बंगलौर (एसपीटी), के पास विद्युत आपूर्ति के लिए बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (बीईएससीओएम) के साथ 5,200 केवीए की एक अनुबंध मांग थी। समझौते के अनुसार, मांग प्रभारें एक महीने में दर्ज वास्तविक अधिकतम मांग पर या अनुबंध की मांग का 75 प्रतिशत, जो समय-समय पर लागू वास्तविक उपभोग के प्रभारों के साथ उच्चतर दर पर है, पर लगाया जाता है।

विद्युत भार के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि अप्रैल 2008 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान अनुबंध मांग के मुकाबले वास्तविक खपत 26 प्रतिशत से 54 प्रतिशत तक निरंतर कम है। 4,000 केवीए के अनुबंध मांग के लिए यथार्थवादी बेंचमार्क को ध्यान में रखते हुए, एसपीटी ने वास्तविक खपत की गई विद्युत की मांग का भुगतान नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप नौ वर्षों के लिए ₹ 1.24 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया। एसपीटी ने बताया (अगस्त 2017) कि अनुबंध मांग का उपयोग नहीं किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

मामला मंत्रालय को मई 2017 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर दिसंबर 2017 तक प्रतीक्षित था।

प्रसार भारती

वाणिज्यिक प्रसारण सेवा, ऑल इंडिया रेडियो, मुम्बई

13.2 निर्धारित भुगतान प्रक्रिया का पालन न करना

अप्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई सहित प्रसारित करने के लिए गैर-मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा अग्रिम भुगतान के संबंध में वाणिज्यिक प्रसारण सेवा, ऑल इंडिया रेडियो, मुंबई की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.12 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

'ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) पर विज्ञापन के लिए दरें' निर्धारित करते हैं कि मान्यताप्राप्त एजेंसियों के अलावा, एक स्थानीय बैंक के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा "पीबी (बीसीआई) सीबीएस, एआईआर (संबंधित सीबीएस का नाम)" भुगतान अग्रिम में किया जाएगा (प्रसारण शुरू होने के 15 दिन पहले नहीं)।

वाणिज्यिक प्रसारण सेवा (सीबीएस), एआईआर, मुंबई के अभिलेखों की जांच से पता चला कि छह गैर-मान्यता प्राप्त एजेंसियों से संबंधित ₹ 28.85 लाख राशि जिनकी विज्ञापन/सामग्री 1995-2005 के दौरान प्रसारित की गई थी, 12 वर्षों से अधिक के लिए लंबित थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारित निर्देशों के उल्लंघन में, सीबीएस ने इन छह गैर-मान्यता प्राप्त एजेंसियों से अग्रिम भुगतान के बिना विज्ञापन/सामग्री प्रसारित की। इसके अतिरिक्त, सीबीएस ने उनकी सामग्री को प्रसारित करना जारी रखा यद्यपि वे पूर्व प्रसारण के लिए भुगतान में चूक गए थे। सीबीएस की ओर से लंबित बकायों के पीछे प्रभावी रूप से लगने या वसूलने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। वैध सुधार करने हेतु गंभीरता से बिना प्रयास के साथ केवल एक ही कार्रवाई सरकारी अधिवक्ताओं के माध्यम से आवधिक अनुस्मारक और नोटिस जारी करने की गई थी। सीबीएस दोषी एजेंसिंयों के पते तथा जानकारियों के अद्यतित अभिलेखों का अनुरक्षण करने में भी विफल रहा जिसने आगे बकायों के प्रभावी रूप से पीछे पड़ने के उनके प्रयास को कमजोर किया तथा मामले में एक निराशाजनक रवैये को प्रतिबिंबित करता है। अंततः, अगस्त 2016 में,

सीबीएस ने ₹ 1.08 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डालने के लिए प्रस्तावित किया (₹ 28.85 लाख - मूल तथा ₹ 78.67 लाख - ब्याज[1])।

सीबीएस ने बताया (नवंबर/दिसंबर 2016) कि इन मामलों को बट्टे खाते में डालने का एक प्रस्ताव शुरू किया गया है क्योंकि ये लंबे समय से लंबित थे।

इस प्रकार, प्रसारण शुरू करने से पहले गैर-मान्यता प्राप्त एजेंसियों निर्धारित भुगतान प्रक्रिया के रूप में अग्रिम में भुगतान प्राप्ति को सुनिश्चित करने में सीबीएस, एआईआर, मुंबई की विफलता तथा दोषी एजेंसियों से बकाया वसूल करने के किसी भी सार्थक प्रयास की कमी के कारण ₹ 1.12 करोड़ (30 सितंबर 2017 तक) वसूली योग्य नहीं रही।

मामला अगस्त 2017 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

---

[1] मान्यता प्राप्त एजेंसियों से संबंधित अतिदेय भुगतान पर एआईआर द्वारा ब्याज की दर को अपनाने से, 1 अप्रैल 2003 तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से तथा उसके बाद 14.50 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभारित किया जाता है।